संख्या–29 / यु0क0 / 2004–10 / युवा / 2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल–देहरादून।

देहरादून दिनांक 17 अप्रैल 2004

युवा कल्याण अनुभाग

विषयः– लेखानुदान 2004–2005 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त पिषयक युवा कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या–03/ दो–910/ बजट–लेखा/2004–2005 दिनांक 01–04–2004 के क्रय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 के 01 अप्रैल से 31 जुलाई 2004 की अवधि हेतु स्वीकृत अबचनबद्व मदों में लेखानुदान की धनराशि रूपये 8,12,000,00 (रूपये आठ लाख बारह हजार मात्र) निम्न मदों में व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	मानक मद	धनराशि हजार रूपये में
1	04–यात्रा व्यय	133
2	05–स्थानान्तरण	33
3	07–मानदेय	17
4	11–लेखन सामाग्री और फार्मो की छपाई	33
5	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67
6	16–व्याावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	3
7	18–प्रकाशन	17
8	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10
9	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	33
10	29–अनुरक्षण	33
11	42–अन्य व्यय	167
12	44–प्रशिक्षण व्यय	100
13	45–अवकाश यात्रा व्यय	33
14	46–कम्प्यूटर हाईवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	100
15	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	33
कुल योग (आठ लाख बारह हजार मात्र)		812

2–उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3–कम्प्यूटर क्रय करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी अद्यतन शासनादेश/प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4–उपकरण साज सज्जा व अन्य सामग्री का क्रय डी0जी0 एस0 एण्ड डी0की दरों पर किया जाय यदि ये दरें उपलब्ध न हो तो टेन्डर/कोटेशन प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका सुनिश्चित किया जाय, बजट मैनुअल एंव समय–समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5–इस सम्बन्ध में होन वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–11, के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण –00–आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पत्र संख्या–20/वि0अनु–2/2004 दिनांक 20 अप्रैल, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृ0स0 /यु0क0/2004 –10/युवा/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय विल्डिग देहरादून, उत्तरांचल।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
4–श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6–वित्त अनुभाग–2
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव